

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्नसं. 4237
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

"लखपति दीदी" योजना का दायरा

4237. श्री तेजस्वी सूर्या:

श्री अभिमन्यु सेठी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में "लखपति दीदी" योजना की शुरुआत से अब तक कुल कितनी महिलाएं इससे लाभान्वित हुई हैं;

(ख) क्या सरकार का आगामी केंद्रीय बजट में उक्त योजना के दायरे का विस्तार करने का विचार है ताकि न केवल आय सृजन पर बल्कि अन्य महत्वपूर्ण प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत ऋण और सूक्ष्म वित्त सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओडिशा राज्य में "लखपति दीदी" योजना की जिलेवार उपलब्धियां क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)**

(क) लखपति दीदी, इस मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का परिणाम है। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है, और कम से कम चार कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों के लिए स्थायी आधार पर प्रति वर्ष न्यूनतम एक लाख रुपये की आय अर्जित करना है। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत, अब तक 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया जा चुका है। अब तक 1.48 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्य लखपति दीदी बन चुके हैं।

(ख) लखपति दीदी एक पहल है, न कि कोई योजना। इसलिए, लखपति दीदी पहल के लिए कोई विशिष्ट बजट आवंटित नहीं किया गया है। हालाँकि, डीएवाई-एनआरएलएम योजना का आवंटन वर्ष 2024-25 के 15,047 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के लिए 19,005.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बढ़े हुए बजट का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास को सुगम बनाना और उनका सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है।

(ग) और (घ) डीएवाई-एनआरएलएम विभिन्न चरणों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण और सूक्ष्म वित्त सुविधाओं तक पहुंच प्रदान कर रहा है, जो इस प्रकार हैं:

- i) स्वयं सहायता समूहों को एक कोष बनाने में सहायता के लिए परिक्रमी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) के रूप में निधियां प्रदान की जाती हैं, जिससे स्वयं सहायता समूह के सदस्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- ii) स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक लिंकेज की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2013-14 से, स्वयं सहायता समूहों को अब तक 10 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) द्वारा मास्टर परिपत्र जारी किए जाते हैं।
- iii) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लेखांकन, अभिलेख-संचालन, बजट और ऋण प्रबंधन आदि पर प्रशिक्षण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कौशल भी प्रदान किए जाते हैं।
- iv) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के अंतर्गत एक उप-योजना है जो स्वयं सहायता समूहों और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने, उद्यम संवर्धन हेतु सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी-ईपी) के माध्यम से प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके, सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) के माध्यम से वित्त पोषण, समुदाय द्वारा संचालित और प्रबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) नामक एक ही छत के नीचे डोमेन और व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करके एक ब्लॉक में उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता और सुविधा प्रदान करती है। जून 2025 तक, एसवीईपी के तहत 3.74 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

ओडिशा में, 7.80 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को लखपति दीदी के रूप में सक्षम बनाया गया है। यह पहल व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह महिलाओं पर केंद्रित है। नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी की पूरी प्रक्रिया में, सामुदायिक संस्थागत संरचनाएँ,

अर्थात् स्वयं सहायता समूह , ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) अग्रणी भूमिका निभाते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लखपति बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह पहल सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता, प्रशिक्षण और सहायता बढ़ाने और सरकारी विभागों के बीच समन्वय के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में उद्यमशीलता क्षमता का निर्माण करने में भी मदद करती है।